प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में दिनांक–16.11.2017 को 12.30 बजे अपराह्न से ऑन–लाईन दाखिल खारिज की प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने से संबंधित विभागीय बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– संधारित।

कार्यवाही :–

बैठक में सर्वप्रथम प्रधान सचिव के द्वारा अब तक राज्य के शहरी क्षेत्र में अवस्थित अंचलों में जमाबंदी पंजियों के डिजिटाईजेशन से संबंधित प्रगति की समीक्षा की गयी। इस संबंध में विभिन्न जिलों से प्राप्त सूचनानुसार राज्य के सभी शहरी अंचलों, जहां डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों के द्वारा जमाबंदी पंजियों के डिजिटाईजेशन का कार्य किया जा रहा है, में जमाबंदी पंजियों का डिजिटाईजेशन से संबंधित कार्य पूर्ण किये जाने की सूचना प्राप्त है। वैसे सभी अंचलों में जमाबंदी पंजियों के डिजिटाईजेशन के पश्चात् हल्का कर्मचारियों/अंचल निरीक्षकों एवं अंचल अधिकारियों के द्वारा इसकी शुद्धता की जांच भी की गयी है, जिससे संबंधित प्रतिवेदन संबंधित जिलों से प्राप्त है। प्रधान सचिव के द्वारा बैठक में निदेशित किया गया कि जिन शहरी अंचलों की जमाबंदी पंजियों का डिजिटाईजेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, वैसे अंचलों में से कुछ अंचलों में ऑन–लाईन दाखिल खारिज की प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने से संबंधित अधिसूचना प्रारूप तैयार कर संचिका में उपरथापित की जाय।

2. ऑन–लाईन दाखिल खारिज की प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने हेतु एन0आई0सी0 के द्वारा सॉफ्टवेयर तैयार किये जाने के संबंध में प्रधान सचिव के द्वारा पृच्छा किये जाने पर बैठक में उपस्थित एन0आई0सी0 के प्रतिनिधि श्री जावेद मंजर एवं विभागीय आई0टी0 मैनेजर, श्री आनन्द शंकर के द्वारा सूचित किया गया कि ऑन–लाईन दाखिल खारिज की प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने हेतु सॉफ्टवेयर तैयार हो गया है। ऑन–लाईन दाखिल खारिज वादों के निष्पादन से संबंधित सॉफ्टवेयर में दाखिल खारिज वादों के निष्पादन हेतु बिहार दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 एवं नियमावली, 2012 में निहित प्रावधानों के आलोक में Process Flow भी निर्धारित कर दिया गया है, जो निम्नवत है :–

(1) **दाखिल खारिज याचिका समर्पित** किया जाना –

(1) ऑन–लाईन पद्धति से

(2) अंचल कार्यालय में

(3) राजस्व शिविर न्यायालय में

(4) विभिन्न निबंधन कार्यालयों से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर – प्रपत्र–VI में सूचना प्राप्त होने पर

(5) अन्य न्यायालयों/कार्यालयों से प्राप्त अभिलेख/आदेश के आधार पर – प्रपत्र–VII में सूचना प्राप्त होने पर

(2) कार्यालय सहायक के द्वारा ऑन-लाईन अभिलेख संधारित किया जाएगा तथा अभिलेख का वाद संख्या कम्प्यूटर के द्वारा अंकित की जाएगी।

Mutation Code	Mutation Type	Document Name
1	Sale/Purchase	Registered Deed
1	Sale/Purchase	Interim Deed
2	Exchange	Registered Deed
2	Exchange	Interim Deed
3	Gift	Registered Deed
3	Gift	Interim Deed
4	Succession	Death Certificate
5	Partition	Partition through Registered Deed
5	Partition	Partition by Competent Court Order
5	Partition	Partition by Mutual consent
6	Succession	Death Certificate
6	Succession with Partition	Schedule
7	Will	Will with Probate Order
8	Court Order	Order passed by the competent Court
9	Land Purchase by Govt.	Deed related to land purchased by the Govt. for people devoid of Homestead Land.
10	Land Settlement Parcha	Copy of Parcha
11	Settlement of Ceiling Surplus Land	Copy of Parcha
12	Homestead Parcha	Copy of Parcha
13	Bhoodan Parcha	Copy of Parcha
14	Restoration of Land to the Raiyat under land Acquisition Act.	Copy of De-notification
15	Restoration of Land under Koshi Area Act 1951	Copy of De-notification
16	Perpetual Lease by Govt	Registered Lease deed

(3) इस प्रकार से प्राप्त दाखिल खारिज याचिकाओं के विरूद्ध प्रपत्र-IV में याचिकाकर्त्ताओं को प्राप्ति रसीद निर्गत की जाएगी।

(4) यदि दाखिल खारिज याचिका के साथ वांछित कागजात संलग्न किया जाना नहीं पाया जाता है, तो उसकी सूचना याचिकाकर्त्ता को एस0एम0एस0 के माध्यम से दी जाएगी।

(5) कार्यालय सहायक द्वारा दाखिल खारिज पंजी में नियमानुसार प्रविष्टि की जाएगी।

(6) अंचल अधिकारी के द्वारा हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक को जांच कर प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश दिया जाएगा।

(7) हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा आवश्यक जांचोपरान्त अपना जांच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी को समर्पित किया जाएगा – प्रपत्र-XIII में

(8) यदि अंचल अधिकारी, हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन से संतुष्ट नहीं है, तो वैसी स्थिति में स्वयं भी जांच कर सकते है।

(9) प्राप्त जांच प्रतिवेदनों/अंचल अधिकारी के द्वारा स्वयं की गयी जांच के आधार पर आम सूचना एवं खास सूचना का प्रकाशन किया जाएगा – प्रपत्र–XI एवं प्रपत्र–XII में।

(10) आम सूचना एवं खास सूचना के आलोक में आपत्ति आवेदन पत्र समर्पित किया जा सकेगा।

(11) प्राप्त आपत्तियों के आलोक में सुनवाई हेतु तिथि एवं समय का निर्धारण करते हुए आपत्तिकर्ताओं एवं याचिकाकर्त्ताओं को नोटिस निर्गत किया जाएगा।

(12) निर्धारित तिथि एवं समय पर सुनवाई की जाएगी।

(13) यदि सुनवाई के क्रम में अंचल अधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि मामले की जांच/स्थल निरीक्षण उनके द्वारा स्वयं किया जाना आवश्यक है, तो अंचल अधिकारी के द्वारा प्राप्त आपत्तियों के आलोक में मामले की स्वयं जांच की जा सकती है अथवा जांच करायी जा सकती है। यदि अंचल अधिकारी के द्वारा मामले की स्वयं जांच का निर्णय लिया जाता है, तो वैसी स्थिति में जांच की तिथि एवं समय से संबंधित सूचना आपत्तिकर्त्ताओं एवं आवेदक को दी जाएगी। अंचल अधिकारी के द्वारा जांच के समय स्थल पर Memo of Inspection तैयार किया जाएगा, जिसे अभिलेख के साथ संलग्न किया जाएगा।

(14) अंचल अधिकारी का आदेश – स्वीकृत अथवा अस्वीकृत –

आदेश सकारण पारित किया जाएगा।

(15) यदि आवश्यक जांच एवं सुनवाई के पश्चात् अंचल अधिकारी के द्वारा दाखिल खारिज वाद को स्वीकृत किया जाता है, तो वैसी स्थिति में उनके द्वारा पारित आदेश में निम्न तथ्यों का समावेश आदेश फलक में किया जाएगा :–

क) याचिकाकर्त्ता का विवरण एवं याचिका से संबंधित जमीन का विवरण।
ख) जांच के क्रम में प्रकाश में तथ्यों का विवरण – विभिन्न राजस्व अभिलेखों के आधार पर।
स्थल जांच के आधार पर।
ग) दाखिल खारिज स्वीकृत करने का कारण अंकित करते हुए आदेश।

(16) यदि आवश्यक जांच एवं सुनवाई के पश्चात् अंचल अधिकारी के द्वारा दाखिल खारिज वाद को अस्वीकृत किया जाता है, तो वैसी स्थिति में उनके द्वारा पारित आदेश में निम्न तथ्यों का समावेश आदेश फलक में किया जाएगा :–
क) याचिकाकर्त्ता का विवरण एवं याचिका से संबंधित जमीन का विवरण।
ख) जांच के क्रम में प्रकाश में तथ्यों का विवरण – विभिन्न राजस्व अभिलेखों के आधार पर।
स्थल जांच के आधार पर।
ग) आपत्ति आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों का विवरण
घ) सुनवाई के क्रम में प्रकाश में आये तथ्यों एवं आपत्तिकर्त्ता/आवेदक द्वारा समर्पित कागजातों/विभिन्न न्यायालयों के आदेशों का विवरण।

ड.) दाखिल खारिज अस्वीकृत करने का कारण अंकित करते हुए आदेश।

(17) यदि दाखिल खारिज को स्वीकृत किया जाता है, तो वैसी स्थिति में शुद्धि–पत्र प्रपत्र–XIV में निर्गत किया जाएगा।

(18) यदि दाखिल खारिज अस्वीकृत किया जाता है, तो वैसी स्थिति में आवेदक को इसकी सूचना विहित प्रपत्र–XIV(क) में दी जाएगी।

(19) जिन मामलों में दाखिल खारिज की स्वीकृति दी जाएगी एवं शुद्धि–पत्र निर्गत किया जाएगा, वैसे मामलों में दाखिल खारिज नियमावली, 2012 के नियम–10 में निहित प्रावधानों के आलोक मे जमाबंदी पंजी में याचिकाकर्त्ता के नाम जमाबंदी कायम की जाएगी एवं लगान रसीद निर्गत किया जाएगा।

(20) रकवा – एकड़/डी0 में अंकित किया जाएगा।

(21) बँटवारा दाखिल खारिज की स्थिति में जितने पक्षों के बीच जमीन का बँटवारा किया जाना प्रस्तावित है, उतने अभिलेख संधारित किये जायेंगे। दाखिल खारिज आवेदन पत्र उतनी बार समर्पित की जाएगी।

(22) जमाबंदी पंजी विहित प्रपत्र में संधारित करना है। जमाबंदी के नये प्रपत्र पर विचार।
(23) सभी प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में समर्पित करना है।
(24) खेसरावार जमीन का विवरण/रकवा अंकित करना है।

3. बैठक में संयुक्त निदेशक, कृषि गणना के द्वारा इस संबंध में प्रधान सचिव से अनुरोध किया गया कि जिन अंचलों में ऑन–लाईन दाखिल खारिज की प्रक्रिया प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है, वैसे अंचल अधिकारियों को दाखिल खारिज अभिलेखों का हार्ड कॉपी भी संधारित किये जाने का आदेश विभाग के स्तर से दिया जाय। इस संबंध में निर्णय लिया गया कि उक्त प्रावधान की प्रविष्टि अधिसूचना प्रारूप में कर दी जाय।

4. ऑन–लाईन दाखिल खारिज की प्रक्रिया प्रारम्भ होने के पश्चात् दाखिल खारिज वादों के निष्पादन के बाद प्रपत्र–XIV में शुद्धिपत्र ऑन- लाईन निर्गत किया जाएगा, जो अंचल अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत होगा। श्री आनन्द शंकर, आई0टी0 मैनेजर के द्वारा सूचित किया गया कि जिन अंचलों में ऑन–लाईन दाखिल खारिज की प्रक्रिया प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है, वैसे अंचल अधिकारियों का डिजिटल हस्ताक्षर का प्रावधान सॉफ्टवेयर में कर दिया गया है, लेकिन अभी तक हल्का कर्मचारियों एवं अंचल निरीक्षकों का डिजिटल हस्ताक्षर का प्रावधान नहीं किया गया है। चूकि दाखिल खारिज की प्रक्रिया अर्द्ध–न्यायिक है, जिसका निष्पादन हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर किया जाता है, अतः सॉफ्टवेयर में हल्का कर्मचारियों एवं अंचल निरीक्षकों के डिजिटल हस्ताक्षर का भी प्रावधान किया जाना अपेक्षित है, जिसे सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया।

5. जिन अंचलों में ऑन-लाईन दाखिल खारिज की प्रक्रिया प्रारम्भ किया जाएगा, वैसे अंचलों के अंचल अधिकारियों, अंचल निरीक्षकों एवं हल्का कर्मचारियों का अंचलवार अलग-अलग तिथियों को प्रशिक्षण आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया। वैसे अंचल अधिकारियों, अंचल निरीक्षकों एवं हल्का कर्मचारियों को प्रशिक्षण में दाखिल खारिज वादों का ऑन-लाईन निष्पादन से संबंधित Demonstration तथा Hands On Training दिया जाएगा।

6. विभागीय पत्रांक-1667, दिनांक-03.11.2017 के द्वारा ऑन-लाईन दाखिल खारिज की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के उद्देश्य से राज्य के अन्य अंचलों की जमाबंदी पंजियों का डिजिटाईजेशन अभियान के तौर पर किये जाने का आदेश सभी समाहर्त्ताओं को दिया गया है। उक्त प्रयोजनार्थ राज्य के सभी अंचलों को 50 हजार प्रति अंचल की दर से राशि विभाग के स्तर से जिलों को आवंटित कर दी गयी है एवं उक्त विभागीय पत्र द्वारा डिजिटाईजेशन के संबंध में विभागीय मार्गदर्शन से सभी समाहर्त्ताओं को अवगत करा दिया गया है। विभागीय उक्त पत्र की कंडिका-(घ) में यह उल्लेख किया गया है कि डाटा इन्ट्री ऑपरेटर कुशल श्रमिक की श्रेणी में आते है, अतः वर्तमान में श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित दर 313/-रू0 प्रतिदिन उन्हें देय होगा, किन्तु उसके लिए न्यूनतम 250 जमाबंदी की शुद्ध प्रविष्टियां किया जाना अनिवार्य होगा। इस संबंध में समाहर्त्ता, बांका, नवादा एवं अन्य के द्वारा लिखित रूप में सूचित किया गया है कि 250 जमाबंदी की शुद्ध प्रविष्टियां एक कम्प्यूटर ऑपरेटर के द्वारा एक दिन में किये जाने से संबंधित लक्ष्य कतिपय कारणों से संभव नहीं हो पा रहा है। समाहर्त्ताओं के द्वारा उक्त लक्ष्य को संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है। बैठक में सभी पहलुओं यथा- कम्प्यूटर का स्पीड डाटा इन्ट्री ऑपरेटरो की क्षमता, जमाबंदी पंजी की भौतिक स्थिति इत्यादि पर सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से प्रतिदिन प्रविष्टियों के लक्ष्य को 250 से घटाकर प्रतिदिन प्रति डाटा इन्ट्री ऑपरेटर 150 जमाबंदी का इन्ट्री निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया।

7. समाहर्त्ता, शिवहर के द्वारा लिखित रूप में सूचित किया गया है कि उनके जिला से संबंधित अंचलों का User Id & Password विभाग के स्तर से उपलब्ध नहीं कराया गया है। बैठक में उपस्थित श्री आनन्द शंकर, आई0टी0 मैनेजर के द्वारा सूचित किया गया कि राज्य के सभी 534 अंचलों को User Id & Password उपलब्ध करा दिया गया है। प्रधान सचिव के द्वारा उक्त सूचना पुनः सभी समाहर्त्ताओं को उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया।

8. कुछ जिलों से ऑन-लाईन प्रविष्टि के संबंध में पृच्छा की गयी है। कुछ समाहर्त्ताओं के द्वारा सूचित किया गया है कि ऑन-लाईन प्रविष्टि किये जाने की स्थिति में उतरोत्तर रूप से डाटा इन्ट्री की गति धीमी हो जाती है, साथ ही Server Problem एवं Internet Connection

की भी समस्यॉ उत्पन्न हो जाती है। निर्णय लिया गया कि सभी समाहर्त्ताओं को इस तथ्य से अवगत करा दिया जाय कि वह अपनी सुविधा अनुसार चाहे तो जिला के सभी अंचलों की जमाबंदी पंजियों का ऑन–लाईन अथवा ऑफ–लाईन प्रविष्टि करा सकते है, लेकिन जिस जिला के द्वारा ऑन–लाईन प्रविष्टि का निर्णय लिया जाता है, वैसे जिलों के सभी अंचलों की जमाबंदी पंजियों की प्रविष्टि ऑन–लाईन की जाएगी एवं जिन जिलों में ऑफ–लाईन प्रविष्टि का निर्णय लिया जाता है, वैसे जिलों के सभी अंचलों की जमाबंदी पंजियों का ऑफ–लाईन प्रविष्टि की जाएगी।

9. जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक–1349, दिनांक–15.11.2017 के माध्यम से प्रेषित अनुरोध पर विचार किया गया। प्रविष्टियों की संख्या प्रतिदिन 150 करने एवं निजी कम्पनियों के नेट कनेक्शन लेने के प्रस्ताव पर सहमति दी गयी। यह स्पष्ट किया गया कि इस प्रयोजनार्थ कम्प्यूटर एवं जेनरेटर अलग से भाड़ा पर लेने के लिए अलग से कोई आवंटन नहीं दी जाएगी।

10. उपरोक्त निर्णयों के सारांश से सभी आयुक्त/समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/अंचल अधिकारी को **ई–मेल** के माध्यम से दिनांक–20.11.2017 तक अवगत कराने का निदेश दिया गया।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

विश्वासभाजन,

20/11/17

(विवेक कुमार सिंह),
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :– 17–ऑन–लाईन दाखिल खारिज (सॉफ्टवेयर)–243/2017–1745 पटना–15 **दिनांक**–20-11-2017

प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्त्ता/सभी अपर समाहर्त्ता, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विवेक कुमार सिंह),
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :– 17–ऑन–लाईन दाखिल खारिज (सॉफ्टवेयर)–243/2017–1745 पटना–15 **दिनांक**–20-11-2017

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेब–साईट पर प्रकाशित करने तथा सभी संबंधितों को ई–मेल के माध्यम से सूचित करने हेतु प्रेषित।

(विवेक कुमार सिंह),
प्रधान सचिव।

81